मुकेश बनाम हेमन्तसिंह

मु०नं० 74/25

13/1/26 फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी आज [illegible] हैं पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दि 18/2/26 को पेश है
रीडर
उपखण्ड अधिकारी बैर

18/2/26 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण संख्या 7 की रजि० ए.डी कराये। माह से अधिक हो चुका है। बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रा० वास्ते बहस हेतु दिनांक 23/3/26 को पेश हो।

23-3-26 वकील प्रार्थी उप०। पत्रा० वास्ते बहस हेतु दिनांक 20-4-26 को पेश हो।

20/4/26 फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दि 18/5/26 को पेश है
रीडर
उपखण्ड अधिकारी बैर

18/5/26 एड० प्रार्थी उप०। बहस आदेश एड० पक्षीम एड० प्रार्थी की सुनी। पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख सम्वत 2075-78 का अवलोकन किया। विवादित आराजी पक्षकारान की खातेदारी दर्ज है। विवादित आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद पेश नहीं है। न्यायालय हाजा से जारी अस्थायी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करना न्यायोचित है।
अतः आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अ० निषेधाज्ञा 21/8/25 मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। प्रकरण फैसला होकर नत्थी [illegible] हो बाद तकमील सम्मिलित मूल वाद हो।